

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची-834001

विज्ञापन

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-12.11.2018

विज्ञापन संख्या-10/2018

पंचम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के "उप समाहर्ता" (Deputy Collector) पद पर (बैकलॉग) नियुक्ति

(केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक-7467(अनु0) दिनांक-19.08.2013 द्वारा अध्याचित एवं संसूचित रिक्तियों के अनुरूप झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के "उप समाहर्ता" (Deputy Collector) के कुल 01 (बैकलॉग) पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति हेतु विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप झारखण्ड सरकार अन्तर्गत कार्यरत अर्हताधारियों से विहित प्रपत्र (आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध) में ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. पदनाम :- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा (मूल पद उप समाहर्ता)
2. रिक्तियों की विवरणी

| SL. No. | Category | Total Vacancies |
|---------|----------|-----------------|
| 1 | SC | 01 |
| Total | | 01 |

नोट :- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

3. वेतनमान :- PB-II 9300-34800 Grade Pay- 5400 (अपुनरीक्षित)
4. परीक्ष्यमान अवधि :- 02 (दो) वर्ष
5. पद :- स्थायी
6. नियुक्ति की प्रक्रिया :-
 - (क) पात्रता :-
 - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक हो।
 - (ii) जिनकी सेवा झारखण्ड सरकार में दिनांक-01.08.2009 को वर्ग-3 की श्रेणी में लगातार 05 (पाँच) वर्षों की हो।
 - (iii) वैसे अभ्यर्थी जो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में तीन अवसरों में भाग ले चुके हैं वे इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे।
 - (ख) उम्र :- दिनांक- 01.08.2009 को उम्र 45 वर्ष से अधिक न हो।
7. परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :-
 - (क) (i) परीक्षा के दो पत्र होंगे एवं प्रत्येक 100 अंक का होगा। प्रथम पत्र वैकल्पिक प्रकृति तथा द्वितीय पत्र विषयनिष्ठ प्रकृति का होगा। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।
 - (ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कोई अन्तर्वीक्षा नहीं होगी।

(iii) परीक्षा के विषय:-

प्रथम पत्र - प्रथम पत्र में सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन तथा विकास संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न वैकल्पिक प्रकृति का होगा।

खण्ड (क) - सामान्य ज्ञान - 40 अंक।

खण्ड (ख) - भारतीय संविधान - 20 अंक।

| | | | |
|-----------------------|--|---|---------|
| | खण्ड (ग) – लोक प्रशासन | – | 20 अंक। |
| | खण्ड (घ) – विकास संबंधी प्रश्न | – | 20 अंक। |
| द्वितीय पत्र – | द्वितीय पत्र में निम्नलिखित नियमावली, नियम या संहिता से प्रश्न पूछे जायेंगे। कोई भी प्रश्न अनिवार्य नहीं होगा। | | |
| भाग-1 | झारखण्ड सेवा संहिता | – | 20 अंक। |
| भाग-2 | झारखण्ड पेंशन नियमावली | – | 10 अंक। |
| भाग-3 | झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली | – | 10 अंक। |
| भाग-4 | झारखण्ड सचिवालय अनुदेश या बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली | – | 10 अंक। |
| भाग-5 | झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली | – | 10 अंक। |
| भाग-6 | झारखण्ड राज्य सरकारी सेवक आचार नियमावली | – | 10 अंक। |
| भाग-7 | झारखण्ड कोषागार संहिता | – | 10 अंक। |
| भाग-8 | झारखण्ड वित्तीय नियमावली | – | 10 अंक। |
| भाग-9 | झारखण्ड असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– | – | 10 अंक। |

(ख) **न्यूनतम अर्हतांक** – सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवार को सफल होने के लिए लिखित परीक्षा के पूर्णांक का न्यूनतम 40 (चालीस) प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 05 (पाँच) प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।

8. आवेदन की शर्तें :-

- (i) झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 6763 दिनांक- 05.08.2016 के अनुसार) को झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही आवेदन कर सकेंगे।
- (ii) अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-
अनुसूचित जाति :-
झारखण्ड राज्य के **अनुसूचित जाति कोटि** के अभ्यर्थियों को अर्हता का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-5682 दिनांक 22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-1 में **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि** तक झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (iii) झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका 8 (ii) में उल्लेखित) इस विज्ञापन के साथ एवं आयोग के वेबसाईट www.ipsc.gov.in पर **Important Jharkhand Govt. Circular and Notices** में उपलब्ध है।
- (iv) झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को अर्हता का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाणपत्र की **स्पष्ट एवं पठनीय** स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न जाति प्रमाण पत्र से संबंधित विवरणी यथा प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि, अनुमंडल, जिला, राज्य एवं निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा।
- (v) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- (vi) झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** से अलग प्राधिकार यथा **अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी** आदि स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (vii) केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (viii) अनुसूचित जाति हेतु दिनांक-22.10.2008 से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ix) शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र अर्हता निर्धारण हेतु अनुमान्य नहीं होगा।
- (x) आवेदक द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका 8 (ii) में उल्लेखित) से अलग निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

- (xi) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किए गये प्रविष्टि के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत कर दी जाएगी।

9. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क **Credit Card/ Debit Card/ Internet Banking/ SBI Buddy/ SBI UPI/ Other Payment Mode(Challan)** के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किया जायेगा जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
- (ii) परीक्षा शुल्क -
- (a) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क **रु०-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है।
- (b) अनुसूचित जाति के निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2249 दिनांक-03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता वाले अनुसूचित जाति के आवेदक को आवेदन शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं है।
- (iii) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (iv) परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

10. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

- (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210 X 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट-**www.jpsc.gov.in** से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें। मुद्रित/टंकित/छायाप्रति/स्कैन किया हुआ समर्पित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (iii) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :-
- (i) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम यथा:-सचिन कुमार इस प्रकार भरा जाय

| | | | | | | | | |
|---|----|---|--|----|----|---|--|--|
| स | चि | न | | कु | मा | र | | |
|---|----|---|--|----|----|---|--|--|

- (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा - AMIT KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :-

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| A | M | I | T | | K | U | M | A | R | | R | A | M |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|

- (iii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।
- (iv) उसी प्रकार सभी स्तंभ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (v) जो स्तंभ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (X) कर दें।
- (vi) आवेदक "शैक्षणिक योग्यता" के अधीन पूर्णांक, प्राप्तांक एवं अन्य स्तंभों में भली भांति भरें।
- (vii) आवेदक अपने शारीरिक पहचान का विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

11. फोटोग्राफ :-

आवेदन पत्र पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

12. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :-

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनुलग्नक के रूप में क्रमवार संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
- 1) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक/10वीं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र/अंक पत्र।
 - 2) स्नातक डिग्री से संबंधित प्रमाण पत्र/अंक पत्र।
 - 3) जाति प्रमाण पत्र, प्रपत्र-1 के अनुसार (अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए)।
 - 4) सरकारी सेवा (वर्ग-3) में योगदान की तिथि के साक्ष्य हेतु नियुक्ति पत्र अथवा सेवा पुस्त की कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित प्रति।
 - 5) फोटोयुक्त पहचान पत्र-आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस।
 - 6) चालान की एक मूल प्रति (JPSC's Copy)/परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति।
- (ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर **परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या एवं पदनाम** जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।
- (iii) अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लेंगे तथा आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

13. (A) कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(B) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(C) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14. अन्य शर्तें :-

- (i) अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ii) निर्धारित तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाणपत्र/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।
- (iii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iv) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (v) आवेदकों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (vi) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा आवेदक इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचना एवं तदनुसार संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर ही अभ्यर्थिता तय की जायेगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही-सही सूचना प्रविष्ट करते हुए प्रविष्ट किये गए सूचना के अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख (कण्डिका-12 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न कर आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक समर्पित करेंगे। भूल सुधार/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

15 अंतिम तिथि :-

- (i) आवेदक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में कार्यालय प्रधान के माध्यम से केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों-हाथ (कार्य अवधि में) इस प्रकार भेजे कि दिनांक-12.11.2018 को अपराह्न 5:00 बजे तक "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001" को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (iii) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुलग्नक:- i. निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

ii. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि हेतु जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र (प्रपत्र-I)

iii. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि हेतु जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र (प्रपत्र-II/FORM-II)

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र-I

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र

(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :-.....

तिथि :-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री, निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
, डाकघर, थाना, जिला,
 राज्य अनुसूचित जाति */ अनुसूचित
 जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत जाति/रूप जाति के सदस्य हैं,
 जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति */ अनुसूचित जनजाति * के रूप में
 मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी एवं/अथवा उनका/उनकी
 परिवार साधारणतः गांव/कस्बा शहर जिला
 राज्य में निवास करते हैं ।

स्थान :-

तिथि :-

हस्ताक्षर:

सक्षम पदाधिकारी का

नाम

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संस्था/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं.

तारीख

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु
लिंग पहचान चिन्ह निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी
निःशक्तता से ग्रस्त -

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फ़ोलिज़)

(I) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II) दोनों बाहें (बी एल) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(III) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(IV) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति ।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(I) बी-अंधापन

(II) पी बी - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(I) डी - बधिर

(II) पी डी - आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती ।
..... वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है ।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|---|-----------|
| (I) एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (II) पी पी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (III) एल - उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (IV) के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (V) बी - झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (VI) एस - बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (VII) एस टी - खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (VIII) डब्ल्यू - चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (IX) एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (X) एच - सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं । | हाँ /नहीं |
| (XI) आर.डब्ल्यू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं । | हाँ /नहीं |

(डॉ)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डॉ)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डॉ)

अध्यक्ष

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।